न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32/2012 नामान्तरकरण अपील

1. श्रीमति छोटी बेवा खाजूखॉ जाति मुसलमान
2. खातुन पुत्री खाजूखॉ
3. जैतुन पुत्री खाजूखॉ
   जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान तहसील लालसोट जिला दौसा
4. घीसी पुत्री निवाजखा पत्नि ईदूखॉ (फौत)
   4/1 हनीफ उर्फ लीला } पिसरान ईदूखॉ
   4/2 शब्बीर
   4/3 अन्नी पत्नि नूर मोहम्मद पुत्रवधू ईदू खॉ
   4/4 मुराद पुत्र नूर मोहम्मद पौत्र ईदू खॉ
   4/5 सोहिल पुत्र नूर मोहम्मद पौत्र ईदू खॉ
   4/6 गुल्लया पुत्र नूर मोहम्मद पौत्र ईदू खॉ
   समस्त जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला दौसा

अपीलान्ट्स

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट
2. सुलेमान पुत्र उमरखॉ निवासी जगनेर तुर्कान तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
3. अहमद खॉ पुत्र मिश्री खा (फौत)
   3/1 अजीज पुत्र बशोरखॉ } निवासी जगनेर तुर्कान
   3/2 सद्दीक पुत्र बशोरखॉ } तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
   3/3 बुन्दुखा पुत्र अलादीन खॉ
   3/4 रहीसखा पुत्र अलादीन खॉ
4. अजीज खॉ पुत्र बशीरखॉ
5. शरीफ खान पुत्र गुलजार खॉ
   समस्त जाति मुसलमान निवासी जगनेर तुर्कान तहसील लालसोट जिला दौसा
6. कल्याण पुत्र मॉग्या जाति बावरिया निवासी सोनड तहसील लालसोट जिला दौसा
7. राधेश्याम पुत्र कजोडमल महाजन } निवासी सोनड तहसील लालसोट
8. कैलाश चन्द पुत्र कजोडमल महाजन } जिला दौसा
9. पुरण पुत्र प्रभात जाति खटीक निवासी रामगढ पचवारा तहसील लालसोट जिला दौसा
10. बाबा रामदेव ट्रस्ट जरिये व्यवस्थापक सोनड रैगर समाज सोनड, तहसील लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 32/2012 नामान्तरकरण अपील

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 134 तहसीलदार लालसोट दिनांक 01.06.89 ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील लालसोट

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

:— निर्णय :—

दिनांकः 18.12.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जगनेर तुर्कान में ख.न. 90 खाता नं. 27 रकबा 3 बिस्वा की खातेदारी घासी खाँ, खाजूखा हिस्सा 1/2 खाता सं. 25 में ख.न. 2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व ख.न. 713 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 39/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.न. 40/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता चार कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा खाता सं. 26 के खसरा नं. 80 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं. 81 रकबा 6 बिस्वा ख.न. 83 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं. 95/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा ख.न. 126 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता पाच कुल रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा कुल तीनो खातो का रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा मुताकिक भूमि बन्दोबस्त सं. 2009 ला. 2022 के खातेदारी धासीखा, खाजूखा पिसरान निवाजखा के नाम से थी इसके बाद भूमि बन्दोबस्त विभाग दौरान भूमि एकीकरण सं. 2019 में खाता सं. 19 खसरा नं. 6 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा ख.न. 20 रकबा 3 बीघा चार बिस्वा ख.न. 32 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा ख.न. 33 रकबा 6 बिस्वा ख.न. 37 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा कुल किता पांच कुल रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा व खात सं. 40 के ख.न. 35 रकबा 3 बिस्वा में हिस्सा 1/2 घासीखा, खाजूखा पिसरान निवाजखा मुसलमान नागोरी जगनेर तुर्कान के खातेदारी की भूमि थी। खाजूखा की मृत्यु 15.3.1990 को हुई है तथा दिनांक 1.6.89 को अपीलान्ट नं. 1,2,3 का पति व पिता खाजूखा व अपीलान्ट नं. 4 का भाई खाजूखा जिन्दा था परन्तु घासीखा एक चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति था तथा अपीलान्ट नं. 1,2,3 के पति व पिता खाजूखा जो कि एक अनपढ देहाती अशिक्षित व्यक्ति था। जो राजस्व रिकार्ड आदि के सम्बन्ध में नही समझता था। मृतक घासीखा ने कैम्प अभियान बिदरखा में राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का से साज करके दिनांक 30.5.89 को खाजूखा को मृतक बताकर व साज व षडयंत्र कर नामान्तरकरण सं. 134 विरासत का अवैधानिक तरीके से तस्दीक करा लिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पो0 की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि दिनांक 15.03.90 को अपीलान्ट नं. 01, का पति व 02, 03 का पिता खाजूखा की मृत्यु हुई थी किन्तु खाजूखा के भाई घासीखा ने राजस्व अभियान कैम्प बिदरखा में दिनांक 30.05.89 को खाजूखा को मृत बताकर दिनांक 01.06.89 को नामान्तरकरण सं. 134 अपने नाम तस्दीक करा लिया। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा खाजूखा की मृत्यु के सम्बन्ध में बिना कोई जांच किये एवं मृत्यु के सम्बन्ध में बिना किसी दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 134 का अवलोकन फरमावे तो उक्त नामान्तरकरण पर आई.एल.आर द्वारा खाजूखा की मृत्यु एवं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पेश नही होने बाबत रिपोर्ट अंकित की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो निरस्त योग्य है। प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 22.11.2012 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई। तत्पश्चात नकल प्राप्त कर जानकारी के अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद सहित अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस मे राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 134 दिनांक 01.06.89 को राजस्व अभियान कैम्प बिदरखा में तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किया गया है। किन्तु प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरूद्ध उक्त अपील 22 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 6.11.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट सं0 7 व 8 को प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 134 दिनांक 1.6.89 से पूर्व दिनांक 6.7.1978 को भूमि विक्रय किये जाने से सहखातेदार होने एवं संयुक्त खाता होने के कारण पक्षकार बनाये जाना व्यक्त करते हुए उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का निवेदन किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 6.11.2017 को स्वीकार किया जा चुका है। खाजूखा पुत्र निवाजखा ग्राम जगनेर तुर्कान का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि खाजूखा की मृत्यु दिनांक 15.03.1990 को हुई है। जबकि प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 134 दिनांक 01.06.1989 को खाजूखा की विरासत का तस्दीक किया गया है। नामान्तरकरण पर अंकित आई.एल.आर की रिपोर्ट के अनुसार खाजूखा की मृत्यु एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश नही होना व्यक्त किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना प्रतीत होता है। चूंकि प्रकरण में अपीलांन्ट के हक निहित हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 134 दिनांक 01.06.1989 ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील लालसोट वर्तमान तहसील रामगढ पचवारा को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक खातेदार खाजूखा पुत्र नवाजखा कौम मुसलमान की मृत्यु एवं उसके विधिक वारिसान की जांच कर सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित कर नियमोचित कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा